–

प्रेस नोट   दिनांक 21.10.2020

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

➢ **थाना खेकडा क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम बसी मे हुई बुजुर्ग की हत्या की घटना का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, निषांदेही से आलाकत्ल कैंची बरामद।**

➢घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.10.2020 को वादी राजकुमार पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि उसके पिता सुखबीर उम्र 65 वर्ष की जंगल ग्राम बसी ईख के खेत में गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 393/2020 धारा 302, 201 भादवि अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

➢पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खेकडा के नेतृत्व में थाना खेकडा पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों व प्रकाष में आये तथ्यों के आधार पर हत्या का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 21.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सुबह समय करीब 10:10 बजे जंगल ग्राम बसी तेजू की टयूबवैल से हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त 1–राजीव(टेलर) पुत्र महेन्द्र 2–ज्योति पत्नी बब्लू निवासीगण ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त राजीव उर्फ बब्लू की निषांदेही से जंगल ग्राम बसी से ईख के खेत से आलाकत्ल कैंची बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–

गिरफ्तार अभियुक्त राजीव (टेलर) ने पूछताछ पर बताया कि मेरी ग्राम बसी में टेलर की दुकान है। मृतक सुखबीर का सबसे छोटा लडका बबलू राजस्थान में प्राईवेट नौकरी करता है तथा बबलू की पत्नी ज्योति ग्राम बसी में ही परिवार के साथ रहती है। कपडों का नाप लेने के दौरान ही मेरा व ज्योति का मेल–जोल हो गया था और ज्योति से मेरे काफी दिनो से अवैध सम्बन्ध चल रहे थे। अक्सर हम लोग समय निकालकर खेतो मे छिप–छिपकर मिलते थे। ज्योति के घरवाले कुआं पूजन में रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे। घटना से पहले कई दिनों से मेरी ज्योति से लगातार मिलनें की बात हो रही थी। दिनांक 09.10.2020 को दोपहर के समय मैं कपडों का नाप लेने के बहाने ज्याति के पास आया और हम दोनो चोरी से ओमपाल जाट के ईख के खेत मे चले गये थे तभी मतक सुखबीर को पता चल गया और वह हमारे पीछे–पीछे ईख के खेत मे आ गया था। मृतक सुखबीर ने आते ही हम दोनो को आपत्तिजनक स्थिति मे पकड लिया था। हम दोनो को डर हो गया था कि मृतक सुखबीर अब हमारी गाँव मे इज्जत खराब कर देगा। इसी बात को लेकर मुझसे ज्योति ने कहा कि राजीव(टेलर) अगर इसनें ये सब बातें घर पर बता दी तो मुझे घर से निकाल देंगें, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मैनें पहले ही कहा था ये हम दोनों पर कडी नजर रखता है इसे हम लोगो पर शक भी था। मुझे ज्योति ने कहा कि राजीव(टेलर) इसका आज काम तमाम कर दे तभी ज्योति ने सुखबीर के हाथ पकड लिए और मैने अपने पास ली हुई कैची से सुखबीर की गर्दन व सिर पर चार पाँच वार कर उसकी हत्या कर दी। कैंची मै दुकान से अपने साथ लेकर आया था ताकि मुझ पर कोई शक न कर सकें। घटना करने के बाद हम दोनो अलग–अलग रास्ते से चले गये थे। जिस कैंची से मैने सुखबीर पर वार किये थे, वह कैंची मैने ओमपाल के ईंख के खेत के पास ही मेढ में छिपाकर रख दी थी।

➢गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1–राजीव(टेलर) पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत।

2–ज्योति पत्नी बब्लू निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत।

➤ **थाना बिनौली क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम बडावद मे हुई बुजुर्ग की हत्या में नामित अभियुक्त गिरफ्तार।**

➤ **<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>**

दिनांक 20.03.2020 को वादी प्रेमसिंह पुत्र मोहरसिहं निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्त देवीसिंह पुत्र षुक्कनसिंह निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली ने उसके भाई रामफल उम्र करीब 52 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 295/2020 धारा 302 भादवि बनाम देवीसिंह पुत्र षुक्कनसिंह निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत पंजीकृत किया गया था।

➤ **<u>पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–</u>**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना बिनौली पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों व प्रकाष में आये तथ्यों के आधार पर आज दिनांक 21.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सुबह समय करीब 10:30 बजे ग्राम बडावद मन्दिर के पास हत्या की घटना में नामित अभियुक्त देवीसिंह पुत्र षुक्कनसिंह निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बिनौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **<u>पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–</u>**

गिरफ्तार अभियुक्त देवीसिंह ने पूछताछ पर बताया कि उसका व मृतक रामफल का एक माह पूर्व दुकान के सामने कुडा डालने को लेकर झगडा हो गया था जिसमें अभियुक्त देवीसिंह की मां, पत्नी व बेटे को काफी चोट आई थी। उक्त झगडे की थाने पर कोई सूचना नही दी गई थी। परिजनों को पहुंचाई गई चोटों का बदला लेने की नियत से अभियुक्त देवीसिंह ने दिनांक 20.10.2020 को जंगल ग्राम बडावद में रामफल उम्र करीब 52 वर्ष की सब्जी के खेत पर रखवाली करते हुए खेत पर बनी झोपडी में उसकी सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूछताछ से यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक रामफल विगत 20 वर्षो से स्वयं के द्वारा की जा रही खेती में गन्ने/सब्जी की रखवाली हेतु खेतों पर ही झोपडी बनाकर रहता था। यह खेत गांव से करीब 02 किलोमीटर दूरी पर है। इसी कारण अभियुक्त देवीसिंह ने रामफल को खेतों में बनी झोपडी में रात में अकेला पाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया।

➤ **<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>**

देवीसिंह पुत्र षुक्कनसिंह निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत।

- **अवैध षराब की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक टियागो कार व एक मो0सा0 मय 12 पेटी देषी षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद।**

<u>थाना खेकडा–</u> पुलिस द्वारा दिनांक 20.10.2020 को चैकिंग के दौरान चैक तहसील खेकडा के पास से अभियुक्त 1–नदीम पुत्र सलीम 2–फेजान पुत्र दिलषाद निवासीगण मौ0 प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से 08 पेटी देषी षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना कोतवाली बागपत–</u> पुलिस द्वारा दिनांक 20.10.2020 को चैकिंग के दौरान चैक पोस्ट निवाडा से अभियुक्त सुषील पुत्र जगवीर निवासी मौ0 देषराज कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 04 पेटी देषी षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

<u>थाना कोतवाली बागपत–</u> पुलिस द्वारा दिनांक 21.10.2020 को मु0अ0सं0 775/2020 धारा 279, 337, 338 भादवि में वांछित अभियुक्त राजीव पुत्र मांगेराम निवासी निरोजपुर थाना बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।